

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

२९३

क्रमांक:रापक / एआरटी अधि.2021 / सरोगेसी अधि.2021/2022/ 123 दिनांक:- ०८/०८/२०२२

आदेश

राज्य सरकार The Surrogacy (Regulation) Act 2021 की धारा 35 (2) तथा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act 2021 की धारा 12 (3) के तहत राज्य में निम्नानुसार Appropriate Authority का गठन करती है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. संयुक्त / विशिष्ट / शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं निदेशक एनएचएम | अध्यक्ष |
| 2. अति.निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान। | उपाध्यक्ष |
| 3. संयुक्त / उप शासन सचिव, विधायी प्रारूपण-२, विधि विभाग राजस्थान सरकार | सदस्य |
| 4. प्रतिनिधि महिला रांगठन | सदस्य |
| 5. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर | सदस्य |

(डॉ. पूर्णिमा)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्थान।

क्रमांक:रापक / एआरटी अधि.2021 / सरोगेसी अधि.2021/2022/ 123 दिनांक:- ०८/०८/२०२२

- निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान।
- निजी सचिव, सचिव, Department of Health Research, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नईदिल्ली।
- संयुक्त सचिव, Department of Health Research स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नईदिल्ली।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
- निजी सहायक मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
- संयुक्त / उप शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण -2) विधि विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- निजी सहायक, अति. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- प्रभारी रार्कर रूम, को वारते ईमेल हेतु।

(डॉ. पूर्णिमा)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्थान।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: रापक / एआरटी एवं सरोगेसी अधि.2021 / 2022 / 5/

दिनांक: - १५ / ०९ | २०२१

संशोधित आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक: रापक / एआरटी अधि.2021 / सरोगेसी अधि.2021 / 2022 / 123 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा राज्य में The Surrogacy (Regulation) Act 2021 की पारा 35 (2) तथा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act 2021 की पारा 12 (3) के तहत Appropriate Authority का गठन किया गया था। जिसके बिन्दु संख्या एक पर अंकित संयुक्त/विशिष्ट/शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं गिशन निदेशक एनएचएम के स्थान पर आंशिक संशोधन किया जाकर शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को Appropriate Authority का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

शेष यथावत रहेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्थान।

क्रमांक: रापक / एआरटी एवं सरोगेसी अधि.2021 / 2022 / 5/

दिनांक: - १५ / ०९ | २०२२

- निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान;
- निजी सचिव, सचिव, Department of Health Research, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नईदिल्ली।
- संयुक्त सचिव, Department of Health Research स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नईदिल्ली।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
- निजी सहायक मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
- संयुक्त/उप शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण - २) विधि विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- निजी सहायक, अति. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- प्रभारी सर्वर रुम, को वास्ते इंगेल हेतु।

(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्थान।